प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 50 /2025)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'6 गीगाहर्ट्ज (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंडों, ई-बैंड, और वी-बैंड के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ/ प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 25 जून 2025 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 28.05.2025 को **'6 गीगाहर्ट्ज (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंडों, ई-बैंड, और वी-बैंड के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन'** पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25.06.2025 और प्रति टिप्पणियाँ 09.07.2025 निर्धारित की गई थी।

2. कई हितधारकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को क्रमशः 02.07.2025 और 16.07.2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियां/ प्रतिटिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

25/06/2025

(अभय शंकर वर्मा)

सचिव, भादूविप्रा (प्रभारी)